प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 04.05.2026

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

दिनांक 30.05.2026 को थाना लोनी पर वादी सुरेन्द्र पुत्र राममहर निवासी गांव गनोली थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 30.05.2026 को अभियुक्त 1. गौरव पुत्र विजेन्द्र निवासी गांव गनौली 2. सौरभ उर्फ भोला पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम गनौली 3. गोपाल पुत्र रमेश निवासी गनौली 4. गौरव निवासी बादलपुर गौतमबुद्धनगर 5. मोहित पुत्र मुकुट पंडित निवासी गांव गनौली व अन्य द्वारा गोली मारकर अपहरण कर गाडी में जबरन डाल कर अपने साथ ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 109(1)/140(3)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत मु0अ0स0152/2026 पंजीकृत किया गया तत्पश्चात विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अपराधिक घटना के षडयन्त्र में शामिल अभियुक्तगण 1. विजेन्द्र 2 आजाद पुत्रगण बुद्धाराम निवासी ग्राम गनौली 3. अजब सिंह पुत्र लखमीचन्द निवासी ग्राम गनौली के नाम प्रकाश में आये हैं तथा धारा 61(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तत्पश्चात दिनांक 01.06.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1. विजेन्द्र 2 .आजाद 3. अजब सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अन्य वांछित अभियुक्तगण 1. गौरव पुत्र विजेन्द्र निवासी गांव गनौली 2. सौरभ उर्फ भोला पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम गनौली 3. गोपाल पुत्र रमेश निवासी गनौली 4. गौरव पुत्र नामालूम निवासी बादलपुर गौतमबुद्धनगर 5. मोहित पुत्र मुकुट पंडित निवासी गांव गनौली की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जिन पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित है। विवेचना के क्रम में वाछिंत अभियुक्तगण को संरक्षण देने हेतु अभियुक्तगण 1.संदीप भाटी पुत्र धीरज सिंह, 2. संदीप कुमार पुत्र रमेश कुमार मावी निवासीगण नया गाँव थाना सिकन्द्रराबाद जनपद बुलन्दशहर, 3.राहुल पुत्र परमाल भाटी निवासी खनौदा थाना औरंगाबाद जनपद बुलंदशहर 4. सुमित पुत्र सुरेश पाल 5. अमित पुत्र सुरेशपाल निवासीगण ग्राम दौसा बंजारपुर थाना भोजपुर के नाम प्रकाश में आये।

आज दिनांक 04.06.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. संदीप भाटी 2. संदीप कुमार पुत्र रमेश कुमार मावी 3.राहुल पुत्र परमाल भाटी 4. सुमित पुत्र सुरेश पाल 5. अमित पुत्र सुरेशपाल को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। **प्रकरण में अबतक कुल 17 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जा चुका है।**

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारी विपक्षीगण से पुरानी रंजिश चली आ रही है जिसके कारण विपक्षीगण से रंजिश का बदला लेने के लिए आपराधिक षडयन्त्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.संदीप भाटी पुत्र धीरज सिंह निवासी नया गाँव थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 36 वर्ष।

2. संदीप कुमार पुत्र रमेश कुमार मावी निवासी नया गाँव थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर, उम्र करीब 39 वर्ष।

3.राहुल पुत्र परमाल भाटी निवासी खनौदा थाना औरंगाबाद जनपद बुलंदशहर उम्र करीब 26 वर्ष।

4. सुमित पुत्र सुरेश पाल निवासी ग्राम दौसा बंजारपुर थाना भोजपुर उम्र करीब 30 वर्ष।

5. अमित पुत्र सुरेश पाल निवासी ग्राम दौसा बंजारपुर थाना भोजपुर उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

"सोशल मीडिया पर अफवाह और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाले के विरुद्ध गाजियाबाद पुलिस की सख्त कार्यवाही, थाना खोड़ा में अभियोग पंजीकृत।

दिनांक 03.06.2026 समय 20.04 बजे ट्विटर (X) पर एक हैंडल @ProudIndianNa द्वारा थाना खोड़ा क्षेत्र के संबंध में पूरी तरह से असत्य, भ्रामक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से एक पोस्ट शेयर की गई थी, जिसमें मस्जिद को क्षतिग्रस्त करने और नागरिकों को गोली मारने जैसी झूठी अफवाहें फैलाई गई थीं।

इस संवेदनशील प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई अमल में लाई गई है:-

मुकदमा दर्ज:- सोशल मीडिया पर इस प्रकार की निराधार और सनसनीखेज अफवाह फैलाकर शांति व्यवस्था को प्रभावित करने के प्रयास में संबंधित ट्विटर हैंडल के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग (FIR) पंजीकृत कर लिया गया है।

स्थिति पूर्णतः सामान्य:- गाजियाबाद पुलिस पुनः स्पष्ट करती है कि थाना खोड़ा क्षेत्र सहित पूरे कमिश्नरेट में कानून एवं शांति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। सोशल मीडिया पर किया गया दावा शत-प्रतिशत झूठा और काल्पनिक है।

सख्त चेतावनी:- ऐसे सभी हैंडल्स और ग्रुप्स की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, जो इस प्रकार के भ्रामक पोस्ट को री-शेयर या फॉरवर्ड कर रहे हैं। अफवाह फैलाने वाले किसी भी अराजक तत्व के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

गाजियाबाद पुलिस की अपील:- आमजन से अनुरोध है कि वे किसी भी अपुष्ट और भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें। जिम्मेदार नागरिक बनें, अफवाहों को आगे बढ़ाने से बचें और शहर में शांति व आपसी भाईचारा बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।